

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

पत्रांक-6/ब0गै0यो0-01-49/2015गृ0आ0.....पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-योजना के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0001-जिला कार्यकारी दल, विषय शीर्ष 01 01-वेतन एवं 01 03-जीवन यापन भत्ता विपत्र कोड N2055001090001 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 108-अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण, उपशीर्ष 0001-अग्नि रक्षा सेवा, विषय शीर्ष 01 01-वेतन, 01 03-जीवन यापन भत्ता, 01 04-मकान किराया भत्ता, 01 05-परिवहन भत्ता, 01 06-चिकित्सा भत्ता एवं 01 07-अन्य भत्ता तथा विपत्र कोड N2070001080001 अंतर्गत क्रमशः ₹ 2,83,58,000, ₹ 3,54,47,000, ₹ 56,72,000, ₹ 13,41,000, ₹ 6,70,000 एवं ₹ 3,34,12,000 यानि कुल ₹ 10,49,00,000 (दस करोड़ उनचास लाख रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0 :- अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-49/2015गृ0आ0.....839.....पटना, दिनांक 30-01-2017

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/
वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस उप
महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार,
पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

राधा नन्दन प्रसाद
20/01/17
सरकार के अवर सचिव

राधा